न्यायालयः– रूपल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

दाण्डिक प्रकरण क्र०–RCT/42/2020
संस्थित दिनांक –04/02/2020
ई–फाईलिंग नं० –RCT/133/2020

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देपालपुर, जिला इंदौर (म०प्र०)

.....अभियोजन

विरूद्ध

बालमुकुन्द पिता लालचंद परिहार, उम्र–35 वर्ष, निवासी ग्राम जलोदिया पंथ, तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म0प्र0)

.....अभियुक्त

पुलिस थाना देपालपुर जिला इंदौर के अपराध क्रमांक– 09/2020 अपराध अंतर्गत धारा– 279, 338, भा.दं.सं. एवं धारा 146 सहपठित धारा 196 मोटरयान अधिनियम से उदभूत प्रकरण।

मध्यप्रदेश राज्य की ओर से एडीपीओ :– श्री शिवनाथ सिंह मवाई

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता :– श्री विपिन धाकड़ अधि0

–: निर्णय :–

–: दिनांक 29.11.2021 को घोषित :–

01. अभियुक्त पर भा0द0सं0 की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 सहपठित धारा 196 के अंतर्गत अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27.12.2019 को समय 18:30 बजे या उसके लगभग स्थान आई.डी.बी.आई. बैंक के सामने, ग्राम मुरखेड़ा थाना देपालपुर के सामने फोर्ड कार क्रमांक एम0पी0–41–सी0ए0–0779 को लोकस्थान पर बिना वैध बीमा के लापरवाही या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं आहत् मोहम्मद अब्दुल इस्लाम को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया।

02. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य यह है कि दिनांक–29.11.2021 को आहत् एवं अभियुक्त के मध्य हुए राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 338 भा0दं0सं0 अपराध का शमन किया गया है। उक्त शमन के परिणाम स्वरूप अभियुक्त बालमुकुन्द पिता लालचंद परिहार को भा0दं0सं0 की

29/11/2021

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

धारा– 338 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

03. अभियोजन पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2019 को करीब 18:30 बजे शाम आई.डी.बी.आई. बैंक के सामने ग्राम मुरखेड़ा रोड पर खड़ा था और उसके पास अकरम एवं मोहम्मद इस्माईल खड़े थे और वह उक्त दोनों से बातचीत कर रहा था कि तभी सामने इंदौर तरफ से फोर्ड कंपनी की कार नं. एम.पी.41–सी.ए.–0779 का चालक अपनी कार को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे जोर से टक्कर मारी दी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा और उसे बांये पैर में चोट लगी। उसके बाद उसको उसके पास खड़े अकरम एवं मोहम्मद इस्माईल ने उठाकर उसे अपनी कार से महावीर अस्पताल देपालपुर ले गये, वहां पर डॉक्टर ने उसे यूनिक अस्पताल जवाहर मार्ग इंदौर रैफर कर दिया, जहां पर उसे ईलाज के लिए भर्ती किया गया। कार वाला अपनी कार को देपालपुर तरफ भगाकर ले गया, जांच से फोर्ड कंपनी की कार नं. एम.पी.41–सी.ए.–0779 के चालक के विरुद्ध अपराध धारा 279, 337 भादवि का पाया जाने से सदर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी बालमुकुन्द से घटना में प्रयुक्त वाहन पंचानों के समक्ष जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा वाहन का बीमा पेश नहीं किए जाने पर प्रकरण में धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम बढ़ाई गई। आहत् की एक्सरे रिपोर्ट यूनिक अस्पताल से प्राप्त की गई, जिसमें फ्रैक्चर आने से धारा 338 भादवि का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना, कथन गवाहान, एम.एल.सी. रिपोर्ट, एक्सरा रिपोर्ट, जप्ती, गिरफ्तारी, मेडिकल जांच रिपोर्ट तैयार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भादंवि एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम सिद्ध पाए जाने से चालान क्रमांक 16/20 दिनांक 02.02.2020 न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में निर्णय चरण 01 में वर्णित अपराधों को अस्वीकार किया है।

05. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न यह है कि

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.12.2019 को समय 18:30 बजे या उसके लगभग स्थान आई.डी.बी.आई. बैंक के सामने, ग्राम मुरखेड़ा थाना देपालपुर के सामने फोर्ड कार क्रमांक एम0पी0–41–सी0ए0–0779 को लोकस्थान पर लापरवाही या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

02. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0–41–सी0ए0–0779 को लोकस्थान पर बिना वैध बीमा के चलाया ?

साक्ष्य का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र0 1 व 2

29/12/20

(कपिल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

06. आहत् बंशीलाल (अ0सा0.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता हूं। घटना आज से करीब एकाध वर्ष पूर्व की है। वह घर के बाहर खड़ा था। एक कार का चालक इंदौर तरफ से चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटे आई थीं और उसे हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया था और उसका ईलाज हुआ था। पुलिस ने उसके कथन लिए थे।

07. उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को कार क्र0 एम0पी0—41—सी0ए0—0779 का चालक अपनी गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया था।

08. धारा 279 के अन्तर्गत अपराध को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करे कि दुर्घटनाकारी वाहन अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जा रहा था। अभियोजन साक्षीगण ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले कथित वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

09. यद्यपि सहायक लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण में राजीनामा हो जाने से आहत् द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न करने का तर्क किया गया है, परन्तु मात्र राजीनामा की परिस्थिति से ही अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से उक्त वाहन को चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन पक्ष को चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से स्थापित करना होता है कि अभियुक्त ने दुर्घटनाकारी वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर स्वयं घटना कारित की जिससे सामान्य मानव जीवन संकटापन्न हुआ इस बिन्दु पर घटना के आहत् ने अभियोजन के प्रकरण का लेष मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

10. जब घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा कार क्र0 एम0पी0—41—सी0ए0—0779 चलाया जाना ही प्रमाणित नहीं है तो घटना दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त कार अभियुक्त द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा के चलाए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

11. अतः उपरोक्त विवेचना से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.12.2019 को समय 18:30 बजे या उसके लगभग स्थान आई.डी.बी.आई. बैंक के सामने, ग्राम गुरखेड़ा थाना देपालपुर के सामने फोर्ड कार कमांक एम0पी0—41—सी0ए0—0779 को लोकस्थान पर लापरवाही या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

12. उपरोक्त समस्त विवेचना उपरान्त अभियुक्त बालमुकुन्द पिता लालचंद परिहार को भा0द0सं0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 सहपठित धारा 196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

29/11/2021

(रुपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

13. अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 के अंतर्गत निरोध अवधि का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके माननीय अपीलीय न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अंतर्गत धारा 437 (क) द.प्र.सं. आगामी 6 माह के लिए विस्तारित किए जाते है।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्र. एम0पी0–41–सी0ए0–0779 को सुपुर्ददार रामभरत पिता रामप्रसाद को दिनांक 05/02/2020 को सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की स्थिति में भारमुक्त समझा जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

29/11/2021

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर, (मप्र)

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

29/11/2021

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इंदौर, (मप्र)

Scanned by CamScanner